कार्यालय – जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

संख्याक 15504-06 /2015–16 दिनांक 19 मार्च, 2016

माध्यम – अंग्रेजी

प्रबन्धक,
आर0एस0 ग्लोबल एकेडमी जू0हा0स्कूल,
ग्राम–जिरौली पो0–विछवाँ, सुल्तानगंज, मैनपुरी।

विषयः– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **20–08–2015** के आवेदन और अस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ प्रश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **आर0एस ग्लोबल एकेडमी जू0हा0स्कूल, ग्राम–जिरौली पो0–विछवाँ, सुल्तानगंज, मैनपुरी** को तारीख 14.03.2016 से तारीख 14.03.2019 तक 03 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **प्री प्राइमरी** से कक्षा **08** तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करनें के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्ष 1 में (यां यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किए जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉं प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा

(i)– प्रवेश दिए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii)– किसी भी बालक को शारीरिक दंड या, मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(iii)– प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक के कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv)– प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v)– अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्ता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi)– अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii)– अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

Principal
R.S. Global Academy
Jirauli, Mainpuri
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No.-2132544)

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Begaur, ETAH
Pin-207001

Manager
R.S. Global Academy
Jirauli, Mainpuri
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No.-2132544)

Scanned by CamScanner

7– विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार है–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	–	0.2300 हैक्टेयर
कुल निर्मित क्षेत्र	–	7200 वर्गफुट
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	–	
कक्षाओं की संख्या	–	12
प्राध्यापक – सह कार्यालय – सह भाडागार के लिए कक्ष	–	उपलब्ध है।
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	–	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	–	उपलब्ध है।
मिड–डे–मिल पकाने के लिये रसोई	–	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	–	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन साम्रगी/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9– विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाऐं नहीं चलाई जाएंगी।

10– विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनिम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रद्त्त किसी विधि अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12– स्कूल को किसी व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा वितरण नियमों अनुसार तैयार किए जाने चाहिए (प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14– आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोर्ड संख्या 15504-06 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15– विद्यालय ऐसी रिपोर्ट सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है तों मान्यता संबंधों शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16– सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

17– संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

अवधेश मिश्र
वरिष्ठ सहायक

भवदीय

(हरिकेश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मैनपुरी।

पृष्ठांकन संख्या : 15504-06/2015–16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि –

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा मण्डल, आगरा।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नग्रर शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

Anjali Tomar
Principal
R.S. Global Academy
Jirauli, Mainpuri
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No.-2132544)

Principal
Jawahar Navodaya Vidyalaya
Begaur, ETAH
Pin-207001

Manager
R.S. Global Academy
Jirauli, Mainpuri
Affiliated to C.B.S.E., Delhi
(Affiliation No.-2132544)

Scanned by CamScanner